

के पास है। इसमें कितनी कंपनियां हैं, इसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यह आई-टी० मिनिस्ट्री देगी, मैं तो केवल व्यापार के बारे में दे सकता हूं। जहां तक व्यापार के आंकड़े हैं, मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इससे सैटिस्फाइड रहेंगे।

आयोगों का पुनर्गठन

*184. श्री उदय प्रताप सिंह: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उनके मंत्रालय के अधीन कार्यरत विभिन्न आयोगों के पुनर्गठन पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन आयोगों का पुनर्गठन किया जाना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार): (क) और (ख) सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अधीन निम्नलिखित आयोग कार्य कर रहे हैं;

- (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग;
- (ख) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग;
- (ग) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग;
- (घ) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग;
- (ङ) आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आयोग;
- (च) डि-नोटिफाइड जनजातियों, खानाबदोश और अर्ध-खानाबदोश जनजातियों के विकासात्मक पक्षों के अध्ययनार्थ राष्ट्रीय आयोग;
- (छ) राष्ट्रीय निःशक्त व्यक्ति आयोग।

कुछ आयोग का पुनर्गठन विचाराधीन है।

Reconstitution of Commissions

†*184. SHRI UDAY PRATAP SINGH: Will the Minister of SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT be pleased to state:

† Original notice of the question was received in Hindi.

(a) whether Government are considering reconstitution of the various Commissions functioning under his Ministry; and

(b) if so, the details thereof alongwith the names of the Commissions to be reconstituted?

THE MINISTER OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT (SHRIMATI MEIRA KUMAR): (a) and (b) The following Commissions are functioning under the Ministry of Social Justice and Empowerment:

- (i) National Commission for Scheduled Castes
- (ii) National Commission for Minorities
- (iii) National Commission for Backward Classes
- (iv) National Commission for Safai Karmacharis
- (v) Commission for Economically Backward Classes
- (vi) National Commission to study the developmental aspects of de-notified tribes, nomadic and semi-Nomadic Tribes
- (vii) National Commission for Persons with Disability

The re-constitution of some of the Commissions is under consideration.

श्री उदय प्रताप सिंह: आदरणीय सभापति जी, मेरे प्रश्न का आधा अधूरा उत्तर है। यह उत्तर संतोषजनक भी नहीं है। मैंने यह पूछ था कि आप जो पुनर्गठन करने जा रहे हैं उनके नाम क्या हैं? क्या आप सातों आयोगों का पुनर्गठन करेंगे? तो वह नहीं बताया है। आपने सातों का नाम तो दे दिया है। आपने यह स्वीकार किया है कि पुनर्गठन करेंगे लेकिन पुनर्गठन किसका करेंगे यह नहीं बताया है? मेरा सरकार से सीधा-सीधा प्रश्न है कि पुनर्गठन किस आधार पर किया जाएगा? जिस मकसद को लेकर उनका गठन किया गया था, क्या उनकी सफलता, असफलता को आधार मानकर पुनर्गठन किया जाएगा या आप उनसे सहमत नहीं है, इस आधार पर उनका पुनर्गठन किया जाएगा? क्या आपने कोई नॉर्म्स तैयार किए हैं, यदि किए हैं तो सदन के माध्यम से कृपया बताने की कृपा करें?

श्रीमती मीरा कुमार: सभापति महोदय, प्रश्न का उत्तर पूरा था, आधा अधूरा नहीं था। लेकिन मैं फिर से बता देती हूँ कि जो सात कमिशनर्स हैं, उनमें से कुछ का पुनर्गठन करने की संभावना पर विचार किया जा रहा है। मैं उनका नाम भी बता रही हूँ। पहला 'राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग' है। इसका पुनर्गठन करने का विचार इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इस आयोग की अवधि

31 अगस्त, 2004 को समाप्त होने जा रही है। इसका पुनर्गठन करने के विचार के पीछे यही कारण है। दूसरा 'कमीशन फार इकनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेज' के लिए है। इसके अध्यक्ष ने अपना त्यागपत्र दे दिया है और इसके एक सदस्य ने भी अपना त्यागपत्र दे दिया है। इसमें अभी दो सदस्य बचे हैं, क्योंकि इसमें त्यागपत्र दिए गए हैं इसलिए इसके बारे में भी विचार किया जाएगा। तीसरा आयोग National Commission for de-notified Tribes, Nomadic and semi-Nomadic Tribes का है। उसका गठन कैबिनेट के एक संकल्प के द्वारा हुआ था। उस समय कैबिनेट ने यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि PWD Act, जो कि 1995 में बना है उसके आधार पर जो CCD का आफिस बना था, चीफ कमिशनर ऑफ डिसेबिलिटी का, उसको Repeal किया जाएगा। यह कैबिनेट का डायरेक्टिव था। मैं National Commission for Persons with Disability के बारे में बता रही हूँ। मुझे माफ करिये इस समय National Commission for de-notified Tribes की बात नहीं कर रही हूँ। National Commission for Persons with Disability ने खुद अपनी राय व्यक्त की है कि जो नेशनल CCD का आफिस है, वह अच्छा काम कर रहा है। इसलिए उसे repeal न किया जाए। National Commission for Persons with Disability का जो रोल है, उसके कार्य की जो गतिविधियाँ हैं, उनके बारे में और ज्यादा स्पष्ट करके उन्हें बताया जाए। तो वे हम से ही यह पूछ रहे हैं कि क्या क्लेरिफिकेशन्स हैं जो हम उन्हें दें। इसलिए इसके पुनर्गठन के बारे में विचार किया जा रहा है। तीसरा है, जिसके बारे में मैं बता रही थी, National Commission for de-notified Tribes, Nomadic and semi-Nomadic Tribes के अध्यक्ष जस्टिस डब्ल्यू मोती लाल नायक ने भी इस्तीफा दे दिया है। इसलिए इस आयोग के पुनर्गठन की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। ये जो चार आयोग हैं, उनके पुनर्गठन पर विचार करने के जो कारण पूछे थे, वे यही कारण हैं।

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय सभापति जी, मैं इस बहस में नहीं पड़ूंगा कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, इससे ज्यादा जरूरी मैं यह सवाल पूछना समझता हूँ कि सरकार इसका जवाब दे कि कुछ ऐसे आयोग हैं, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, ये रिपोर्ट्स सदन में तत्काल रखी जानी चाहिए, जिससे सदन और देश को पता चले कि अपने मकसद में वे किस हद तक सफल हुए हैं या नहीं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है या आपका ऐसा कोई प्रस्ताव है कि जिन आयोगों की रिपोर्ट्स आ गई हैं— मुझे पता है, क्योंकि मैं भी राष्ट्रीय आयोग का एक सदस्य रहा हूँ, इसलिए मैं उसकी कार्य विधि और प्रणाली से परिचित हूँ— क्या उन्हें ध्यान में रखकर इनका मूल्यांकन कराया जाएगा और उनके आधार पर पुनर्गठन किया जाएगा?

श्रीमती मीरा कुमार: सभापति जी, माननीय सदस्य का प्रश्न था कि किन आयोगों ने क्या रिपोर्ट्स दी हैं, तो मैं बता दूँ कि नेशनल कमीशन फॉर (व्यवधान)....

श्री सभापति: वह मत बताइए, यह बता दीजिए (व्यवधान)....

श्री उदय प्रताप सिंह: सभापति जी, मेरा प्रश्न है कि आयोगों ने जो रिपोर्ट्स दी हैं, उन रिपोर्ट्स को सदन में रखकर, उनकी मूल्यांकन करके, क्या उनका पुनर्गठन करने की आपकी कोई योजना है?

श्री सभापति: जो रिपोर्ट्स आई हैं, वे सदन की मेज पर रखी हैं या नहीं रखी हैं ... (व्यवधान) ...

श्रीमती मीरा कुमार: सभापति जी, जो रिपोर्ट्स आई हैं, अभी तक जो प्रक्रिया है, वह यह है कि आयोग का गठन एक निश्चित अवधि के लिए होता है। उस अवधि में उन्हें अपनी रिपोर्ट देनी पड़ती है और वे देते हैं, जिसका मंत्रालय में आकलन होता है केन्द्रीय सरकार के जितने भी मंत्रालय हैं, उनसे उन पर राय ली जाती है, ... (व्यवधान) ... मैं बता रही हूँ... (व्यवधान) ... मैं आपको बता रही हूँ... (व्यवधान) ...

श्री शरद यादव: आपने उसे टेबल पर नहीं रखा क्या... (व्यवधान) ...

श्रीमती मीरा कुमार: मैं उसका पूरा जवाब दे रही हूँ... (व्यवधान) ...

श्री अमर सिंह: आकलन की प्रक्रिया कब तक खत्म होगी... (व्यवधान) ...

श्रीमती मीरा कुमार: यही तो मैं शुरू में बता रही थी कि पार्लियामेंट की टेबल पर कितनी रिपोर्ट्स रख दी गई हैं और जो नहीं रखी जा सकीं, वे इसलिए नहीं रखी जा सकीं क्योंकि उनका आकलन हो रहा है। उन पर एक एक्शन टेकन रिपोर्ट और एक एक्शन टेकन मेमोरेन्डम लगाकर रख दिया जाएगा। जहां तक इस बात का सवाल उठता है कि उस रिपोर्ट के आधार पर पुनर्गठन किया जाए, तो वह रिपोर्ट इसलिए नहीं बनाई जाती है कि उसका आधार बनाकर पुनर्गठन किया जाए। वह उसका आधार नहीं है। सभी आयोगों को एक विशेष कार्य दिया जाता है, जो उन्हें एक विशेष अवधि में करना होता है। वे उस कार्य को, उस अवधि में अपनी रिपोर्ट में प्रति वर्ष लिखकर देते हैं। टेबल पर जो रिपोर्ट्स ले की जाती हैं, वे उनके कार्यकलाप का आकलन है। उनके पुनर्गठन का आधार नहीं है।

श्री गांधी आजाद: सभापति महोदय, आयोग द्वारा समाज के कमजोर वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए अनेकों प्रकार की सुविधाओं की संस्तुतियां की जाती हैं, लेकिन वे सारी की सारी संस्तुतियां कागजों में ही रखी रह जाती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या आयोगों को, उन संस्तुतियों को लागू कराने के लिए, सरकार द्वारा कोई शक्ति प्रदान करने पर विचार किया जा रहा है? अगर किया जा रहा है तो यह कब तक हो जाएगा और अगर नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है?

श्रीमती मीरा कुमार: सभापति महोदय, इन सातों आयोगों में से एक ऐसा आयोग है, जो संवैधानिक है और संविधान की धारा 338(1) के अंतर्गत बनाया गया है। इसकी जो पावर्स हैं,

उनका संविधान में उल्लेख है। उन्हें जो पावर्स दी गई हैं, उनका वे प्रयोग करते हैं। वे उन पावर्स का प्रयोग करने के लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। जहां तक बाकी आयोग हैं, इनमें से कुछ को तो पावर्स दी गई हैं, लेकिन एम्प्लॉय कमीशन को जो पावर दी गई है, उसकी तुलना में उतनी नहीं है, क्योंकि ये संवैधानिक आयोग नहीं हैं और एक विधेयक लाकर बनाए गए हैं।

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, my question relates specifically to the National Commission for Persons with Disability. The Minister has just said that they are planning to reconstitute this Commission on account of the fact that the Commission itself has enquired what its role is, and that is the reason why they propose to reconstitute the Commission. Now, I have some information, Sir, which would suggest that this is not so. The Commission was actually set up by a Resolution of the Government in October last year. It has hardly become functional because of the instability on account of elections. My information also suggests that as regards the amount of Rs. 50 lakhs, which had been given to the Commission last year, in the Budget, the Commission was not permitted to utilise this amount, and, therefore, the Commission has faced all kinds of administrative problems. So, my first question specifically to the Minister is that the information that she has that the Commission has to be reconstituted because it has asked for its role to be clarified, is not correct.

And my other question is this, that the Commission is sought to be reconstituted entirely because of political reasons, and not because of any other reason.

SHRIMATI MEIRA KUMAR: Sir, the hon. Member has asked me two questions. First, he has said about the ground given for considering its reconstitution. I said we are considering the reconstitution. It could be either way; we may reconstitute it; we may not reconstitute it. We may give it another form. But it is a fact that although a Cabinet Resolution was brought on 11th September, 2003, it actually started functioning on 3rd February, 2004, and it has, in its letter written to the Ministry in June 2004, given a definite opinion that there should be a clarification about the role of this Commission, and that the CCD's office which was supposed to be repealed should not be repealed, and should continue. So, we have to take an overall view of its constitution in the light of these recommendations.

The second thing you have asked is what is the budgetary provision, and why they were not allowed to use that fund. Let me inform you that for the year 2003-04, their budget was Rs. 50 lakhs, out of which Rs. 7 lakhs

have been used, and for the year 2004-05, their budget is Rs. 144 lakhs, out of which Rs. 43 lakhs have already been used as on 1st July, 2004. And as for your saying that there are political reasons for reconstitution of this Commission, I do not agree with you. I am sure, you are satisfied and convinced with the reason that I have given for its reconstitution.

Kendriya Vidyalayas in Nagaland

*185. SHRI T.R. ZELIANG: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to set up new Kendriya Vidyalayas in Nagaland during the current year;

(b) if so, the locations thereof;

(c) if not, the reasons therefor; and

(d) what steps are being taken or proposed to be taken by Government to establish more Kendriya Vidyalayas in the State?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI ARJUN SINGH): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d) Although the Government of India is planning to open new Kendriya Vidyalayas in districts having no Kendriya Vidyalayas, including those in the State of Nagaland, opening of KVs in State depends upon the suitability of proposals received from the State Government/sponsoring agencies. There is no proposal at present from the State Government or any sponsoring agency from Nagaland for opening new KVs during the current year.

SHRI T.R. ZELIANG: Mr. Chairman, Sir, keeping in view the reply given to my question, I would like to inform the hon. Minister as well as this august House that out of eleven districts in Nagaland, only one district has got a Kendriya Vidyalaya which is functioning at Dimapur. My supplementary question is whether adequate number of teachers, transportation, hostel facilities, drinking water and toilets are made available at this school. If such facilities are not made available, I would like to know whether the Government is contemplating to provide such facilities to this school.

SHRI ARJUN SINGH: Sir, as the statement clearly mentions, out of